न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/00142 जिला–नागौर

नारायणराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी आसोप तहसील मूण्डवा जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूंडवा जिला नागौर।
2. गीता देवी पत्नी सुखाराम जाति जाट
3. नैनी देवी पत्नी जगदीश जाति जाट
4. किशनलाल पुत्र जोरदान जाति चारण
   निवासी भदोरा तहसील मूंडवा जिला नागौर।
5. शिवराम पुत्र शिवदान जाति जाट निवासी कंकडाय तहसील मूंडवा जिला नागौर।
6. चावण्डदान पुत्र स्व0 दुर्गादान जाति चारण निवासी भदौरा तहसील मूण्डवा बहैसियत अध्यक्ष श्री माला सान्दु चेरीटेबल ट्रस्ट भदोरा तहसील नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर(मु0) नागौर दिनांक 17–02–2022
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022

उपस्थित–
1. श्री सहदेव चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5

निर्णय

दिनांकः–25–07–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तहसीलदार मूण्डवा द्वारा

राजस्व प्रार्थना पत्र दिनांक 17–2–2022 को धारा 131 व 132 सहायक कलक्टर (मु0) नागौर के समक्ष गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भदौरा के खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 हैक्टर (अपीलार्थी नारायण राम का खातेदारी का खेत) में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0.0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने की अभिशंषा की गई जिस पर प्रकरण संखय 9/2022 दर्ज कर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी नहीं किये गये एवं मात्र तहसीलदार मूण्डवा की अभिशंषा को सर्वसत्य मानकर सहायक कलक्टर(मु0) नागौर ने गैर कानूनी तौर पर निर्णय दिनांक 17–2–2022 पारित कर अपीलार्थी की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपील के साथ प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के अभिभाषक की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी चावण्डदान पुत्र स्व0 दुर्गादान जाति चारण निवासी भदौरा तहसील मूण्डवा बहैसियत अध्यक्ष श्री माला सान्दु चेरीटेबल ट्रस्ट भदोरा तहसील नागौर द्वारा कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में विवादित आराजियात खसरा नम्बर 26 जो वर्तमान अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज है एवं खसरा संख्या 267, 236, 240 शेष प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की खातेदारी में दर्ज है, में से चालू कदीमी रास्ते को जो खसरा संख्या 238/821 भैरूजी का थान जिस पर भैरूजी महाराज का मंदिर स्थित है तक जाता है उक्त चालू रास्ते को राजस्व रेकार्ड में सभी खातेदारों की सहमति एवं मौजूदगी में प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में मजमेआम में दिनांक 17–2–2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दर्ज किया गया है उक्त रास्ते बाबत ग्राम पंचायत भदौरा द्वारा भी दिनांक 26–1–2022 को सहमति एवं प्रस्ताव संख्या 8 पारित किया गया है।

उक्त खसरा संख्या 238/821 पर निर्मित मंदिर की देखरेख एवं पूजा व्यवस्था प्रार्थी संस्था करती है तथा प्रार्थी संस्था ही सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है जिस कारण उक्त थान तक आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता उक्त खसरा नम्बर में से ही है जिसे वर्तमान अपीलार्थी रोकने पर उतारू है इस कारण प्रकरण में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है। वर्तमान अपीलार्थी ग्राम भदौरा का निवासी नहीं होकर आसोप का निवासी है तथा खसरा नम्बर 266 का क्रेता है जो जबरन चालू रास्ते

को बन्द करने पर उतारू है तथा धार्मित उन्माद फैलाना चाहता है तथा आये दिन झगड़ा फसाद करता है इस कारण प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रकरण में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना आवाश्यक है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थी के हक निहित है तथा प्रार्थी ही कब्जे काश्त में है इस कारण प्रकरण में होने वाले निर्णय से प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित होते है। इस कारण अपनी और से प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 अभि0 की बहस सुनी गई। अपील के साथ विचाराधीन प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पर प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के अभिभाषक को सुना गया । प्रार्थी चावण्डदान पुत्र स्व0 दुर्गादान जाति चारण उम्र 74 वर्ष निवासी ग्राम भदोरा तहसील मूण्डवा को पक्षकार बनाये जाने व रेकार्ड पर लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि पटवारी हल्का एंव भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार मूण्डवा द्वारा दिनांक 17–2–2022 को धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 नियम 1957 के अन्तग्रत अपीलार्थी व शेष प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध सहायक कलक्टर (म0) नागौर के न्यायलय में राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी नारायणराम के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 हैक्टर में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0.0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर को गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर दिय जबकि अपीलार्थी के उक्त खातेदारी खेत में से कभी भी मौके पर कोई रास्ता अथवा पगडण्डी नहीं रही है तथा ना ही इसका उपयोग एवं उपभोग किसी भी अन्य खातेदारान द्वारा किया गया है तथा ना ही रास्ते की किसी भी खातेदारान द्वारा मांग की गई है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 582 दिनांक 16–2–2022 को ही मुख्य आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है क्योकि किसी भी परिपत्र के आधार पर खातेदारी अधिका समाप्त करके रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। जबकि ग्राम भदौरा के उक्त खसरा नम्बर 266 में से कोई रास्ता प्रचलित नहीं रहा है तथा ना ही इसका उपयोग एवं उपभोग किसी के द्वारा नहीं किया गया तथा ना ही मौके की रिपोर्ट तैयार की गई। राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 के अन्तर्गत प्रस्तुतकिया जबकि इनके तहत किसी भी भूमि को रास्ते की

भूमि घोषित नहीं की जा सकती है क्योंकि खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत ही समाप्त हो सकते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 नागौर द्वारा गैर कानूनी आदेश दिनांक 17–2–2022 प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत आम रास्ता प्रयोजनार्थ ग्राम भदौरा के तहत प्रदान किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है क्योंकि प्रशासन गांव के संग अभियान में पक्षकारों की सहमति एवं रजामंदी के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–2–2022 अपीलार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 266 मौजा भदोरा की हद तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार मूण्डवा के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में से जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता घोषित किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 व 6 के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार, मूण्डवा की अनुशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–2–2022 द्वारा रास्ता घोषित करने के आदेश पारित किये है। सरपंच ग्राम पंचायत भदौरा पंचयत समिति मूण्डवा जिला नागौर ने भी ग्राम पंचायत में दिनांक 26–1–2022 की ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 8 पारित किया कि भदोरा धुन्धियाडी मुख्य डामर सड़क पर स्थित भेरू नाथ का मंदिर स्थित है जिसकी उक्त सड़क से लगभग 350 मीटर दूरी है। वर्तमान में सडक से भैरूनाथ मंदिर तक कदीमी रास्ता है तथा आवागमन हेतु चालू है। उक्त कदीमी रास्ते को कटाणी रास्ता राजंस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु राजस्व विभाग को अनुशंषा भिजवाने हेतु प्रस्ताव सदन में उपस्थित सदस्यों ने विचार विमर्श किया तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त खसरा संख्या 238/821 पर निर्मित मंदिर की देखरेख एवं पूजा व्यवस्था

प्रार्थी संस्था करती है तथा प्रार्थी संस्था ही सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है जिस कारण उक्त थान तक आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता उक्त खसरा नम्बर में से ही है जिसे वर्तमान अपीलार्थी रोकने पर उतारू है इस कारण प्रकरण में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है। वर्तमान अपीलार्थी ग्राम भदौरा का निवासी नहीं होकर आसोप का निवासी है तथा खसरा नम्बर 266 का क्रेता है जो जबरन चालू रास्ते को बन्द करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार मूण्डवा की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत भदौरा की सहमति एवं प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में मजमेआम मे गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने बाबत आदेश दिनांक 17–2–2022 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा सहायक कलक्टर (म0) नागौर के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम भदोरा के खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 (अपीलार्थी नारायण राम का खातेदारी का खेत) में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0. 0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने की अभिशंषा की गई। जबकि उक्त खसरा नम्बरान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की खातेदारी की आराजी है खातेदारी की आराजियात में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारागैर मुमकिन रास्ता घाषित किये जाने के आदेश पारित कर दिये।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात ग्राम भदोरा के खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 (अपीलार्थी नारायण राम का खातेदारी का खेत) में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0.0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 5 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (म0) नागौर ने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी खातेदारी की आराजियात में से नजरी नक्शेनुसार गैरमुमकिन रास्ता घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जबकि निजी खातेदारी की आराजियात में से गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की जानकारी एवं पड़ौसी खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। साथ ही तहसीलदार के समक्ष किसी भी ग्रामवासी द्वारा रास्ता दर्ज करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हो ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की विवादित आराजियात खसरा नम्बर ग्राम

भदोरा के खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 (अपीलार्थी नारायण राम का खातेदारी का खेत) में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0.0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0. 9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर में रास्ता जाने का उल्लेख किया है जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार, मूण्डवा की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की ग्राम भदोरा स्थित निजी खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर के खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 (अपीलार्थी नारायण राम का खातेदारी का खेत) में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0.0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर में राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने का आदेश दिनांक 17–2–2022 पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2022 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–2–2022 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण सहायक कलक्टर (मु0) नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात खसरा नम्बर खसरा नम्बर 266 रकबा 2.3876 में से 0.0478, खसरा नम्बर 267 रकबा 4.4515 हैक्टर में से 0.0441, खसरा नम्बर 236 रकबा 2.3634 हैक्टर में से 0.0153, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.9470 हैक्टर में से 0.0117 हैक्टर की मौके की जांच कर तहसीलदार, मूण्डवा से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की मौजूदगी में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर